महत्वपूर्ण

संख्या3849/9.1.2017–119सा/14

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
स्थानीय निकाय
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक27 जनवरी, 2017

विषयः स्थानीय निकायों/जलसंस्थानों में 31 दिसम्बर, 2001 तक नियुक्त/कार्यरत दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा के कार्मिकों के विनियमितीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने संख्या–सां0सेल/1182/वर्कचार्ज एवं दैनिक/2015–16 लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्थानीय निकायो/जलसंस्थानों में 31 दिसम्बर, 2001 तक कार्यरत/नियुक्त दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा कार्मिकों के विनियमितीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप–1 एवं 2 पर विवरण अंकित करते हुए प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2. प्राप्त प्रस्ताव के साथ संलग्न विवरण में ऐसे कार्मिकों को भी सम्मिलित किया गया है जो मा0 न्यायालय के विभिन्न आदेशों के तहत वर्ष 2002 से 2016 के मध्य रखे गये है, जिससे यह स्पष्ट नही हो रहा है कि उक्त कार्मिक, विभाग द्वारा जारी विनियमितीकरण नियमावली 2016 एवं वित्त विभाग के शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था से आच्छादित हो रहे है अथवा नही। प्रस्ताव में नगर पलिका परिषद मैनपुरी,सुल्तानपुर भरथना, महमूदाबाद एवं प्रतापगढ़ में दैनिक वेतन पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं के बारे में भी निर्धारित प्रारूप पर सूचना दी गयी है, जिसमें न0पा0परि0भरथना में कार्यरत श्री राजेश कुमार दीक्षित को 30–7–87 से 18–3–98 तक संविदा पर कार्यरत होना दशार्या गया है, वह वर्तमान में भी कार्यरत है अथवा नहीं इसका उल्लेख नहीं है। न0पा0सुल्तानपुर में कार्यरत अवर अभियन्ता की विवरण भी सही अकित नहीं है। इसी प्रकार नगर निगम कानपुर में दो दैनिक वेतन आयु0 चिकित्सकों का भी प्रस्ताव भेजा गया है, जिन्हें मा0 न्यायालय के आदेश के कम में वर्ष 2005, 2006 में कार्यरत होना दर्शाया गया है। उक्त रिट याचिका की वर्तमान अद्यतन स्थिति की सूचना नही दी गयी है।

3. आपके उक्त प्रस्ताव में रिक्त पदों के सापेक्ष विनियमित किये जाने वाले कार्मिकों एवं जिन कार्मिकों के लिए अधिसंख्य पदों का सृजन होना है, का विवरण अलग–अलग न उपलब्ध कराकर एक ही सूची में संकलित रूप से प्रेषित की

गयी है जिससे स्पष्ट नहीं है कि कितने ऐसे कार्मिक है, जिन्हे निकायों में रिक्त पदों के सापेक्ष विनियमित किया जा सकता है एवं कितने ऐसे कार्मिक है, जिनके विनियमितीकरण हेतु अधिसंख्य पदों के सृजन की आवश्यकता है।

4. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक नियमावली 2016 एवं वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24–2–2016 में निर्धारित व्यवस्था के आधार पर प्रस्ताव का अपने स्तर से पुनः परीक्षण करके विनिमितीकरण नियमावली से आच्छादित होने वाले कार्मिको का विवरण (रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजित होने वाले कार्मिकों एवं अधिसंख्य पद सृजित कराकर विनियमित किये जाने वाले कार्मिक का अलग–अलग विवरण) उपलब्ध कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें कि प्रस्ताव में सम्मिलित सभी कार्मिक, कार्मिक नियमावली 2016 तथा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 24–2–16 से पूर्णतः आच्छादित है।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करने का कष्ट करें कि दिनांक 29 जून, 1991 के बाद से दैनिक वेतन/वर्कचार्ज नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद यह नियुक्तियां किन परिस्थितियों में की गयी और इसके कौन–कौन अधिकारी दोषी है। इस संबंध में कृपया संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव भी शासन को उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।